न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस अपील

संख्या– आरटीए / 3 / 2014

उनवान

1. मु0 भॅवर कंवर पत्नि भगवत सिंह राजपूत निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा , जिला भीलवाडा
2. शिवराज सिंह आत्मज भगवत सिंह राजपूत निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा , जिला भीलवाडा
3. हेमेन्द्र सिंह आत्मज भगवत सिंह राजपूत निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा , जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. गट्टू सिंह आत्मज मान सिंह राजपूत निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा , जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 22 / 2011 निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 2.7.2013

अभिभाषक : 1. श्री रमेश चेचाणी , अधिवक्ता अपीलार्थीगण

2. श्री एस एल आगाल, अधिवक्ता अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 1

आदेश

दिनांक 6.3.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण / वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। सजरे के अनुसार मानसिंह जी के दो पुत्र भगवत सिंह जी एवं गट्टूसिंह जी थे। वादी संख्या 1 भगवत सिंह जी की पत्नि एवं वादी संख्या 2 व 3 भगवत सिंह जी के पुत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 भगवत सिंह जी के भाई है। मानसिंह जी की मृत्यु हो चुकी है। ग्राम चलानिया पटवार हल्का लुलास तहसील शाहपुरा में खेवट संख्या नई 282 व पुरानी 278 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त खातेदार दर्ज है। वादग्रस्त आराजियात कुल किता 25 कुलरकबा 17.71 हेक्टेयर दर्ज है। जिसमें वादीगण का 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हक हिस्सा है। आराजी नम्बर 335 रकबा 0.03 हे0 व आराजी नम्बर 337 रकबा 0.04 हे0 गैर मुमकिन आता चाह दर्ज है जो विभाजन के बाद भी संयुक्त रूप से रखी जावे। उक्त आता चाह पर आने–जाने हेतु रास्ते में किसी भी तरह का विवाद प्रतिवादीगण संख्या 1 नहीं करें ऐसी व्यवस्था आराजियात के विभाजन के समय किये जान का आदेश प्रदान करावे। शेष आराजियात मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर नियमानुसार 1/2, 1/2 हिस्से अनुसार बंटवाडा कराने का आदेश करें।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं वादग्रस्त आराजियात में से जमाबंदी संवत 2066 से 2069 में अंकन अनुसार हेमेन्द्र सिंह आत्मज भगवत सिंह का हिस्सा सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा शाहपुरा के रहन होने एवं गट्टू सिंह , शिवराज सिंह व भॅवर कंवर का हिस्सा बी0 आर0 जी0 बी0 शाखा ढीकोला के रहन दर्ज होना मानने हुए वाद में सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा शाहपुरा एवं बी0आर0जी0बी शाखा ढीकोला को पक्षकार नहीं बनाये जाने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

से असंयोजन की स्थिति मानते हुए वाद वादी खारिज किये जाने का आदेश पारित किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद पत्र पंजिबद्ध किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए एवं न ही प्रतिवादी संख्या एक द्वारा वाद पत्र को कण्टेस्ट ही किया गया । वादी द्वारा वाद पत्र में बैंक को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण कुसंयोजन अथवा असंयोजन होने की कोई आपत्ति भी प्रतिवादी संख्या 1 अथवा राज्य सरकार द्वारा नहीं उठाई गई। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने कुसंयोजन/असंयोजन होना मानते हुए वादीगण का वाद पत्र खारिज कर दिया जो विधिसम्मत नहीं होने से अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को खारिज किया जावे।

5. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का वादग्रस्त आराजियात में 1/2, 1/2 हक हिस्सा है। यदि वादग्रस्त भूमि बैंक के रहन हो तो भी कुसंयोजन या असंयोजन नहीं माना जा सकता है। चूंकि राजस्व रेकार्ड में संयुक्त खातेदारी में वादग्रस्त भूमि दर्ज होने से बैंक में खातेदारान का हिस्सा रहन है। बंटवाडा होने के उपरान्त भी खातेदार का हिस्सा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

ही रहन रहेगा। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे ।

6. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 का निवेदन है कि चूंकि वादग्रस्त भूमि सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा शाहपुरा एवं बी0 आर0 जी0 बी0 शाखा ढीकोला के रहन रखी गई है। जिसका इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। ऐसी स्थिति में बैंक को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। वादीगण ने बैंक को पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए कुसंयोजन/असंयोजन होने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र खारिज किया है वह विधिसम्मत है। अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण डी एन जे 2017 एस. सी., पेज 145, डी एन जे 2017 (3) राजस्थान पेज 1004 की ओर ध्यान आकर्षित कर अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

7. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधिवक्ता अपीलार्थी का निवेदन है कि बैंक प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है। इसलिए बैंक को पक्षकार नहीं बनाये जाने की स्थिति में भी वाद को खारिज नहीं किया जा सकता । इसके विपरीत अधिवक्ता ने बैंक को पक्षकार नहीं बनाने से कुसंयोजन/असंयोजन होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया । अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उद्धरण के तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से अपीलाधीन प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। चूंकि बैंक के पक्षकारान के हक हिस्से की भूमि रहन है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है एवं विभाजन के उपरान्त भी बैंक के खातेदारान का हिस्सा ही रहन रहेगा । इससे बैंक के हित प्रभावित नहीं होते है। फिर भी यदि अधीनस्थ न्यायालय ने कुसंयोजन/असंयोजन की स्थिति होना मानते हुए वाद खारिज किया। तो अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि दौराने विचारण वाद बैंक को पक्षकार संयोजित कर वाद का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर कर देते। कुसंयोजन/अंसयोजन की स्थिति में भी वाद को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया जाना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक12.7.2013 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में वर्तमान जमाबंदी की स्थिति को देखकर सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा शाहपुरा एवं बी0 आर0 जी0 बी0 शाखा ढीकोला को व अन्य आवश्यक पक्षकार यदि हों तो को पक्षकार संयोजित कर उभयपक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक04.04.18 को उपस्थित रहें।

9. निर्णय आज दिनांक 6.3.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

6/3/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा